

फा. सं. 11-03(01)/AGT/सं-बी/2020-Estt/

दिनांक: 30.07.2021

160

OFFICE ORDER

मुख्य आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी अधीक्षकों/निरीक्षकों के स्थापना आदेश सं. 9/2021 व 10/2021 की अनुपालना में एवं संभाग- बी कार्यालय में पदस्थापित अधीक्षकों/निरीक्षकों को तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक उनके नाम के आगे दर्शाये स्थान पर निम्नानुसार पदस्थापित किये जाते हैं:-

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती) | पदनाम | कहां को |
|----------|--------------------------------|----------------|--|
| 1 | Sh. Manoj Kumar Manwani | Superintendent | Technical (Adjudication, Call Book, Daily Report, TAR, DGARM, Audit/LAR, RTI, PQ, Legal, Stats, Consequential Refund & Others) |
| 2 | Sh. Pankaj Bhatt | Superintendent | Range-6 |
| 3 | Sh. P.C.Mahawar | Superintendent | Range-7 |
| 4 | Sh. L.K.Tanwar | Superintendent | Range-8 |
| 5 | Sh. Ramesh Kumar Sawnani | Superintendent | Range-9 |
| 6 | Sh. P.C.Mahawar | Superintendent | Range-10 (Additional Charge) |
| 7 | Sh. Desh Raj Meena | Inspector | Technical (Adjudication, Call Book, Daily Report, TAR, DGARM, Audit/LAR, RTI, PQ, Legal, Stats, & Other) |
| 8 | Sh. Om Prakash Meena | Inspector | Range-6 |
| 9 | Sh. Suresh Kumar | Inspector | Range-7 along with Consequential refund/ State Refund. |
| 10 | Smt. Sunil Kumari | Inspector | Range-8 |
| 11 | Sh. Ravi Lalwani | Inspector | Range-9 |
| 12 | Sh. Chaman Singh Meena | Inspector | Range-10 |

उक्त पदस्थापित अधीक्षकों/निरीक्षकों को आवंभित किये गये कार्य के अतिरिक्त अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा समय- समय पर निर्दिष्ट कार्य का भी निपटान करना होगा।

यह आदेश संयुक्त आयुक्त महोदया की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

भवदीया
sd
(प्रतीति गोयल)
उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान् संयुक्त आयुक्त, मुख्य आयुक्त, कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर जोन।
2. श्रीमान् संयुक्त आयुक्त, (का. एवं सत.), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर।
3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर।
4. अधीक्षक (कम्प्यूटर), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. निजी प्रति

29/7
उपायुक्त